

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/110527/MRB/MORADABAD/1795/CFO

दिनांक: 06-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO 480 481 BHOJPUR DHARAMPUR, KASHIPUR MORADABAD ROAD, BHOJPUR** तहसील - **MORADABAD**, प्लॉट एरिया **8605 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3655.20** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	11.67 mt.
BLOCK B	1	0	4.1 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **09-03-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SAJAL JAIN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेप्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-03-2024** से **10-03-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : एफएसएसओ श्री गगन कुमार द्वारा अपलोड अभिलेखों व मानचित्र का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार भवन पूर्व निर्मित व संचालित है जो शासनादेश संख्या 18/छ.-पु0-8-2022-905-(34)/2016 टी0सी0दिनांक 07-01-2022 से आच्छादित है शासनादेश के अनुसार सैट बैक की सहमति सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा विद्युत व्यवस्थापन की जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से कर ली जाए उक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी एफएसएसओ की आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(KRISHNA KANT OJHA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-03-2024
स्थान : MORADABAD

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

10-03-2024